न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 48 / 2016

1 विजयप्रकाश पुत्र पूर्णमल जाति जांगिड़ (ब्राह्मण) निवासी सांगवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 मोहनलाल पुत्र हजारीलाल
2 लक्ष्मी स्त्री स्व. गोरखा
3 रतनलाल पुत्र स्व. गोरखा
जाति जांगिड़ (ब्राह्मण) निवासी सांगवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
4 किताबो पुत्री स्व. गोरखा स्त्री लिछमण जाति जांगिड़ (ब्राह्मण) निवासी सांगवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
5 सुशीला पुत्री स्व. गोरखा स्त्री ओमप्रकाश जाति जांगिड़ (ब्राह्मण) निवासी सांगवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं हाल निवासी उन्नाणी तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
6 मनीषा पुत्री स्व. गोरखा स्त्री राजेश जाति जांगिड़ (ब्राह्मण) निवासी सांगवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं हाल निवासी कोलिला तहसील बहरोड़ जिला अलवर।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.03.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना मुकदमा उनवानी मोहनलाल बनाम लक्ष्मीदेवी वगै. मु.नं. 129 / 2015 दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 88/2024

1 विजयप्रकाश पुत्र पूर्णमल जाति जांगिड़ (ब्राह्मण) निवासी सांगवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 मोहनलाल पुत्र हजारीलाल
2 लक्ष्मी स्त्री स्व. गोरखा
3 रतनलाल पुत्र स्व. गोरखा
जाति जांगिड़ (ब्राह्मण) निवासी सांगवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
4 किताबो पुत्री स्व. गोरखा स्त्री लिछमण जाति जांगिड़ (ब्राह्मण) निवासी सांगवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
5 सुशीला पुत्री स्व. गोरखा स्त्री ओमप्रकाश जाति जांगिड़ (ब्राह्मण) निवासी सांगवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं हाल निवासी उन्नाणी तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
6 मनीषा पुत्री स्व. गोरखा स्त्री राजेश जाति जांगिड़ (ब्राह्मण) निवासी सांगवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं हाल निवासी कोलिला तहसील बहरोड़ जिला अलवर।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक
01.09.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर बुहाना मुकदमा उनवानी मोहनलाल
बनाम लक्ष्मी देवी वगै. मु.नं. 129/2015 दावा बाबत
खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कैलाश जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 20/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 129/2015 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2016, 01.09.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 101 रकबा 1.71 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम सांगवा तहत तहसील बुहाना में स्थित है उक्त जमीन में से 0.18 हैक्टेयर जमीन के खाता विभाजन बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जिसको विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.03.2016 को विचारण न्यायालय ने प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिनांक 01.09.2016 को अंतिम रूप से डिक्री कर दिया इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की जवाब देही को नजर अंदाज किया है। जमीन हाल खसरा नम्बर 101 रकबा 1.71 हैक्टेयर में रेस्पोडेन्ट सुरेश कुमार का 1/6 हक हिस्सा की 0.2850 हैक्टेयर जमीन में से 0.11 हैक्टेयर जमीन अपीलान्ट को दिनांक 11.09.2013 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय की थी तथा उक्त सुरेश ने रास्ते की तरफ जहां उसका कब्जा था वही अपीलान्ट का कब्जा करवा दिया। जहां अपने कब्जेशुदा जमीन पर अपीलान्ट ने पत्थर डाल रखे है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपीलान्ट के चार माह बाद जमीन खरीदी है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

विचारण न्यायालय के समक्ष अपने हक हिस्सा की जमीन का नक्शा मनमर्जी से पेश किया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का रकबा भी 0.18 हैक्टेयर की जगह 0.1750 हैक्टेयर बनता है विचारण न्यायालय ने बिना पत्रावली के अवलोकन के तथा बिना किसी आधार के कन्टेस्टेड प्रकरण में बिना तनकी बनाये तथा बिना साक्ष्य लिये दावा प्राथमिक रूप से डिक्री करने में भारी कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की जवाब देही को नजर अन्दाज किया है। जमीन हाल खसरा नम्बर 101 रकबा 1.71 हैक्टेयर में रेस्पोडेन्ट सुरेश कुमार का 1/6 हक हिस्सा की 0.2850 हैक्टेयर जमीन में से 0.11 हैक्टेयर जमीन अपीलान्ट को दिनांक 11.09.2013 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय की थी तथा उक्त सुरेश ने रास्ते की तरफ वहां उसका कब्जा था वही अपीलान्ट का कब्जा करवा दिया। जहां अपने कब्जेशुदा जमीन पर अपीलान्ट ने पत्थर डाल रखे है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपीलान्ट के चार माह बाद जमीन खरीदी है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने हक हिस्सा की जमीन का नक्शा मनमर्जी से पेश किया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का रकबा भी 0.18 हैक्टेयर की जगह 0.1750 हैक्टेयर बनता है विचारण न्यायालय ने बिना पत्रावली के अवलोकन के तथा बिना किसी आधार के कन्टेस्टेड प्रकरण में बिना तनकी बनाये तथा बिना साक्ष्य लिये दावा प्राथमिक रूप से व अंतिम रूप से डिक्री करने में भारी कानूनी गलती की है। विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार ने नहीं बनाये। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव बनाने के लिए मौके पर नहीं गया। पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव बनाने से पहले नोटिस जारी नहीं किया। अपीलान्ट की सम्पूर्ण जमीन सड़क पर है रेस्पोडेन्ट मोहन की जमीन सड़क पर विभाजन प्रस्ताव नक्शा में गलत दर्शित की है बिना कब्जा के दर्शित की है। इस कारण अंतिम निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट मोहनलाल की ओर से ग्राम सागवा की भूमि खसरा नम्बर 101 के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। इस वाद में अपीलान्ट विजयप्रकाश प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय में दिनांक 22.06.2015 को प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से श्री लक्ष्मीकांत एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया है। दिनांक 23.12.2015 को विजय कुमार अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 10.03.2016 से विभाजन की बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस प्राथमिक डिक्री जारी की है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बुहाना द्वारा नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रस्तुत किये गये। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में वकालतन उपस्थिति होने के उपरांत भी मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट मोहनलाल की ओर से ग्राम सागवा की भूमि खसरा नम्बर 101 के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। इस वाद में अपीलान्ट विजयप्रकाश प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय में दिनांक 22.06.2015 को प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से श्री लक्ष्मीकांत एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया है। दिनांक 23.12.2015 को विजय कुमार अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 10.03.2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

से विभाजन की बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस प्राथमिक डिक्री जारी की है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बुहाना द्वारा नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रस्तुत किये गये। जिसकी ताईद मोहनलाल द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत विक्रय पत्र से भी होती है जिसमें कयशुदा भूमि सड़क पर होना प्रमाणित है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में वकालतन उपस्थिति होने के उपरांत भी मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण पर स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर